नरेंद्र मोदी किसान विरोधी

खेती-बाड़ी-मंडी-सोसायटी को करेंगे बर्बाद

तीन काले कानून

अगर

सोच रहे हो कि

काले कानून से

सिर्फ़ किसान को नुक़सान होगा

तो चेत जाओ

इसकी चपेट में तुम भी आओगे

इससे पूरा देश
बर्बाद होने वाला है

उठो! आवाज़ उठाओ!
काले क़ानूनों का विरोध करो!

जनहित में प्रकाशित व प्रसारित

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

राजीव भवन, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

संसद में कृषि संबंधी तीन काले कानूनों को पिछले दिनों संसद में बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। खेती किसानी से जुड़े ये तीन कानून देश के किसानों के लिए काल बनकर आए हैं। संघीय ढांचे का उल्लंघन कर, संविधान को रौंदकर, संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर और बहुमत के आधार पर तानाशाह मोदी सरकार ने जबरन तथा बगैर किसी चर्चा व राय मशवरे के ये कानून पारित करवाए हैं। यहां तक कि इसे पारित करने के लिए राज्यसभा में हर संसदीय मर्यादा व लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार कर दिया गया। ये तीनों कानून खेती पर निर्भर 62 करोड़ जनता के जीवन को गहरे अंधकार में झोंक देगा। इन कानूनों से न केवल किसानों की बल्कि खेतिहर मजदूरों, कृषि उपज मंडियों, सहकारी समितियों में काम करने वाले लोगों और अनाज व्यापार से जुड़े छोटे व्यापारियों और दूकानदारों की रोजी रोटी पर बेहद खराब असर पड़ेगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। यह देश के अन्नदाता को भाजपा परस्त पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की गहरी साजिश है। अगर इस कानून को लागू किया तो देश का किसान एक बार फिर से अंग्रेजों की गुलामी वाले दौर में पहुँच जाएगा। इसके अलावा इन कानूनों से देश भर में उपभोक्ताओं पर महंगाई की अभूतपूर्व मार पड़ने वाली है।

आज देश भर में करोड़ों किसान-मजदूर व सैकड़ों किसान संगठन इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पर प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार विरोध को दरकिनार कर देश को बरगला रहे हैं। अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाईंदों की आवाज को दबाया जा रहा है और देश के तमाम राज्यों में सड़कों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पिटवाया जा रहा है।

भाजपा सरकार तीन काले कानूनों के माध्यम से देश की 'हरित क्रांति' को हराने की साजिश कर रही है।

आइये आपको बताते हैं उन तीन काले कानूनों के बारे में। सामाजिक-राजनैतिक विश्लेषक और किसानी के मुद्दों को बेहद गहराई से समझने वाले योगेन्द्र यादव कहते हैं कि इन कानूनों का असली नाम "जमाखोरी चालू करो कानून", "मंडी खत्म करो कानून" और "खेती कंपनियों को सौंपो" कानून होना चाहिए क्योंकि इनका यही असली मकसद है।

पहले जानिये कि ये तीनों काले कानून क्या हैं?

पहला कानून

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून

यह तीनों कानूनों में सबसे खतरनाक कानून है इस कानून के अंतर्गत 'एक देश, एक बाज़ार' बनाने की बात कही गई है। इस कानून के तहत कोई भी पैन कार्ड धारक व्यक्ति, कम्पनी, सुपर मार्केट, किसी भी किसान का माल किसी भी जगह पर खरीद सकते हैं। कृषि उपज की बिक्री कृषि मंडी या सहकारी समिति में ही होने की अनिवार्य शर्त हटा ली गई है।

हालांकि इसे घुमाफिराकर बताया जा रहा है और वे किसानों को बरगला रहे हैं कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है।

दूसरा कानून

कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून

इस कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार दिए जाने की बात कही गई है। जानकार कह रहे हैं कि इसे सरल भाषा में "कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग" या ठेका खेती भी कहा जा सकता है। इससे खेती किसानी में कंपनीराज शुरु हो जाएगा।

तीसरा कानून

आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून

इस बिल में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें, आलू और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है। इस कानून के आने से अनाज, दलहन, आलू, प्याज, खाद्य तेल जैसी चीजें आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं होंगी व्यापारी इनका जितना चाहे स्टॉक कर सकेगा।

1955 में जो कानून बना था उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति एक सीमित मात्रा में ही भंडारण कर सकता था। अब तक सरकारें इसी कानून के जरिए कालाबाजारी और जमाखोरी रोकती आई हैं लेकिन अब मोदी सरकार अपने कारोबारी दोस्तों के लिए जमाखोरी और कालाबाजारी दोनों को नहीं रोकना चाहती।

सच जानना ज़रूरी है

आइए अब उन सवालों पर बात करते हैं जो हम सबके मन में उठ रहे हैं और वो सच जानते हैं जिसे नरेंद्र मोदी जी छिपा रहे हैं.

क्या इस कानून से कृषि उपज मंडियां ख़त्म हो जाएंगी ?

इन तीनों कानूनों में कई ऐसी बातें हैं जो किसानों के लिए काल बनकर आई हैं। ये काले कानून मंडियों से बाहर कहीं भी आपकी उपज को खरीदने बेचने को बढ़ावा देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं फसल को बाहर खरीदने-बेचने पर जो मंडियों में टैक्स लगता है वह टैक्स भी नहीं लगेगा। इसका नतीजा यह होगा कि व्यापारी मंडियों और समितियों से बाहर ही फसल खरीद लेगा जिससे धीमे धीमे सारी मंडियां और सहकारी समितियां ख़त्म हो जाएंगी।

मंडी शुल्क खत्म होने से राज्यों का वह राजस्व घट जाएगा जिससे किसानों के हितों की रक्षा करने वाली योजनाएं चलती थीं।

मंडी और समिति खत्म होने से क्या नुकसान है?

अनाज-सब्जी मंडी व्यवस्था खत्म होने के साथ ही प्रांतों की आय भी खत्म हो जाएगी। प्रांत 'मार्केट फीस' व 'ग्रामीण विकास फंड' के माध्यम से ग्रामीण अंचल का ढांचागत विकास करते हैं व खेती को प्रोत्साहन देते हैं। उदाहरण के तौर पर

पंजाब ने इस गेहूं सीज़न में 127.45 लाख टन गेहूं खरीदा। पंजाब को 736 करोड़ रु. मार्केट फीस व इतना ही पैसा ग्रामीण विकास फंड में मिला। आढ़तियों को 613 करोड़ रु. कमीशन मिला। कमीशन का भुगतान किसानों ने नहीं, बल्कि मंडियों से गेहूं खरीद करने वाली भारत सरकार की एफसीआई आदि सरकारी एजेंसियों तथा व्यापारियों ने किया। मंडी व्यवस्था खत्म होते ही आय का यह स्रोत अपने आप खत्म हो जाएगा।

जब यह प्रणाली ख़त्म हो जाएगी तो राज्य को मिलने वाला राजस्व भी खत्म हो जाएगा और फिर सरकार किसानों के लिए आवश्यक ढांचागत विकास के कार्य नहीं कर सकेगी।

क्या किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा ?

जब फसलों का दाम निर्धारित करने की ताकत मंडी के बाहर के व्यापारियों और बिचौलियों के पास होगी तो निस्संदेह मंडियों के खत्म होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। किसान जानते हैं कि अभी भी जो अनाज मंडी या समितियों में नहीं बेचा जाता उसे व्यापारी या बिचौलिए कैसे औने-पौने दाम पर खरीदते हैं।

Source : DownToEarth

प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा लेकिन समझ लीजिए कि मोदी जी साफ़ झूठ बोल रहे हैं। अगर मोदी जी के कहने में सच्चाई होती तो वो ऐसा कानून लाते कि मंडी के बाहर या भीतर कोई भी खरीद बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं होगी। वे कानून में लिखते कि अगर समर्थन मूल्य में उपज की खरीददारी होगी तो उसे गैरकानूनी माना जाएगा। और ऐसा करने वाले को सजा मिलेगी। वे 'एक देश, एक बाजार और एक दाम' की बात कहते पर वे 'दाम' की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल मोदी जी चाहते हैं कि उनके मित्रों को कम दाम में अनाज आदि मिलता रहे।

समर्थन मूल्य पर सबसे बड़ा झूठ क्या है?

मोदी सरकार ने एमएसपी पर सबसे बड़ा झूठ बोलने के लिए “शांता कुमार कमेटी” की रिपोर्ट का सहारा लिया है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 6 प्रतिशत किसानों को समर्थन मूल्य मिल पाता है जबकि छत्तीसगढ़ में हर उस किसान को समर्थन मूल्य मिलता है जो समितियों में अपना पंजीयन करवाते हैं। फिर उन किसानों को “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” के तहत 2500 रुपए से अंतर की राशि मिलती है सो अलग।

नरेन्द्र मोदी यह नहीं बता रहे हैं कि जब मंडियां और सोसायटियां खत्म हो जाएंगीं तो किसान को समर्थन मूल्य देने वाली कोई एजेंसी नहीं बचेगी। तब उसे औने-पौने दाम पर अपनी फसल किसी कॉर्पोरेट ये बिचौलिए को बेचनी पड़ेगी क्योंकि तब फसल का मूल्य सरकारें तय नहीं करेंगी बल्कि व्यापारी और बिचौलिए तय करेंगे।

क्या समर्थन मूल्य ख़त्म करने के लिए भ्रम फैला रही है मोदी सरकार?

पहले शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि सिर्फ़ छह प्रतिशत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का लाभ मिल पाता है. और इसी आधार पर काले क़ानून बनाए गए. अब मोदी सरकार मीडिया के ज़रिए यह भ्रम फैला रही है कि सिर्फ़ 12 प्रतिशत किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है. चालाकि यह है कि इस आकलन में सिर्फ़ ख़रीफ़ की फसलों का ज़िक्र किया जा रहा है और रबी की गिनती ही नहीं हो रही है. दूसरा पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे प्रदेशों को गिना ही नहीं जा रहा है जहां बड़ी संख्या में किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेच पा रहे हैं.

जिस समय यह कहने की ज़रूरत थी कि हम हर राज्य में एमएसपी पर फ़सल ख़रीदी को अनिवार्य बनाएंगे और समर्थन मूल्य पर ख़रीदी की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे. मोदी सरकार ने समर्थन मूल्य पर ख़रीदी का प्रावधान ही ख़त्म कर दिया है.

एक देश एक बाजार' का दावा कितना सच है?

यह भी एक बड़ा झूठ है। हम जानते हैं कि देश में 86 फीसदी किसान 5 एकड़ से कम जमीन का मालिक है। इसमें से 80 फीसदी किसानों के पास 2 एकड़ या उससे कम जमीन है। अब आप खुद सोचिए वह गरीब किसान जब अपने अनाज को अपने गाँव

से बाहर तो ले जा नहीं पाता तो वह सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर जाकर फसल कैसे बेचेगा?

क्या छत्तीसगढ़ का किसान उत्तर प्रदेश और ओडिशा जा पाएगा? जाहिर है कि बड़ी कंपनियां और बिचौलिए ही गांव आकर फसल के औने पौने दाम देंगे। इससे बड़े कॉर्पोरेट और बिचौलियों को ही फायदा मिलने वाला है।

क्या हम ठेका खेती या 'कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग' की ओर जा रहे हैं?

इस कानून में ठेका खेती की बात कही गई है। मतलब कंपनी किसान से कहेगी कि हम फसल खरीदने की गारंटी देंगे बदले में किसान फसल उगाएगा। कंपनी बीज भी देगी। यानी कंपनियां नियंत्रित करेंगीं कि किसान क्या बोएगा और किस अनाज की फसल किस इलाके में कितनी होगी।

इतना भर होता तो भी ठीक था लेकिन पेंच यह है कि अगर किसान के साथ कोई विवाद हो गया तो किसान कोर्ट नहीं जा सकता अगर कम्पनी किसान के साथ धोखाधड़ी करती है तो उसकी सुनवाई एसडीएम तक ही होगी। बड़ी कंपनियां इन अफसरों को रिश्वत खिलाएंगी और फिर ये मिलकर किसानों का खून चूसेंगे।

दूसरा बड़ी बात यह है कि अभी किसान को सरकार की ओर से बीज, खाद और कृषि

उपकरण के लिए सब्सिडी मिलती है। जब किसान किसी कंपनी के लिए खेती करेगा तो सरकार उसे सब्सिडी क्यों देगी? जाहिर है कि वह सब्सिडी खत्म हो जाएगी। इससे खेती करना बहुत महंगा हो जाएगा।

क्या कंपनी ठेका तय होने के बावजूद वादे से पलट सकती है?

बिल्कुल पलट सकती है। मान लो कि छत्तीसगढ़ में धान की बोआई के समय सौदा हुआ कि कंपनी 25 रुपये किलो खरीदेगी लेकिन फसल काटते काटते बाज़ार में धान की आवक बढ़ गई और धान 15 रुपये किलो हो गया। फिर कंपनी बहाने बनाने लग जाएगी कि फसल बढ़िया क्वालिटी का नहीं है या इसमें नमी है या धान टूटा हुआ है। किसान न चाहते हुए भी ठेका तोड़ नहीं पाएगा लेकिन कंपनी जैसे चाहेगी वैसे ठेका तोड़ देगी और मनमानी कीमत पर फसल खरीदेगी. इस तरह के शोषण के कई उदाहरण देश में मौजूद हैं।

क्या बड़ी कम्पनियां जमींदार बनने जा रही है?

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून की सबसे बड़ी खामी तो यही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी देना अनिवार्य नहीं है। दाम वह देना होगा जो किसान और कंपनी के

बीच अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। जब मंडी और समिति की व्यवस्था खत्म होगी तो ज्यादातर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर निर्भर हो जाएंगे और बड़ी कंपनियां किसान के खेत में उसकी फसल की मनमर्जी की कीमत निर्धारित करेंगी।

बड़ी कम्पनियां नई जमींदार बन जाएंगी। यह नई जमींदारी प्रथा नहीं तो क्या है?

क्या राशन कार्ड से राशन मिलना बंद हो जाएगा?

ऐसा हो सकता है। इस काले कानून का असर बेहद व्यापक होगा। देश की गरीब जनता दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। देश में गरीबों को अनाज मुहैया कराने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को ही यह काला कानून खतरे में डालने वाला है। जब एफसीआई और सरकारी एजेंसियां किसानों से अनाज नहीं खरीदेगी तो पीडीएस सिस्टम में अनाज कहाँ से आएगा?

मोदी सरकार जनता के खाते में सीधे पैसे डालने की बात कहेगी पर एक रुपए किलो का चावल और पांच रुपए किलो का चना आदि सब बंद हो जाएगा।

कानून इस बारे में चुप है कि अगर अकाल पड़ गया तो नुकसान किसान उठाएगा या फिर कंपनियां? जाहिर है किसान पर कर्ज चढ़ता जाएगा.

बिहार में भी तो मंडियां ख़त्म हुई थी उसका क्या असर पड़ा?

2006 में बिहार सरकार ने मंडी की व्यवस्था को रद्द कर दिया था। नीतीश कुमार ने नेतृत्व वाली सरकार ने मंडी सिस्टम को ख़त्म किया था। उसके बाद बिहार में अनाज कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं ख़रीदा गया। अभी बिहार में धान का रेट 1200 रुपए प्रति क्विंटल है जो छत्तीसगढ़ से 13 सौ रुपये कम और हरियाणा-पंजाब से 800 रुपए कम है। अब सोचिए कि कितना बड़ा अंतर है।

मंडियां ख़त्म होने के बाद से बिहार में गरीबी बढ़ी, पलायन बढ़ा।सरकार ने अच्छे-भले किसानों को शहरों के लिए सस्ता मजदूर बनाकर रख दिया। आज बिहार का हर दूसरा परिवार पलायन करने के लिए मजबूर है। अगर मंडी ख़त्म करने से फ़ायदा होता तो फिर पलायन क्यों होता?

यह तीनों कानून संविधान के खिलाफ कैसे हैं?

केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्ति ही नहीं है जो वह खेती किसानी और दो राज्यों के बीच व्यापार के मसले पर कानून लाए। क्योंकि कृषि राज्य-सूची के अन्तर्गत आने वाला विषय है। यानी कृषि पर राज्य को अपने कानून बनाने का अधिकार है। इसी तरह मंडी समिति अधिनियम को पारित करने का अधिकार तो राज्य के पास है फिर केंद्र का क्या काम?

इसीलिए मोदी सरकार ने चतुराई दिखाई है और कृषि कानूनों के साथ व्यापार और वाणिज्य जोड़ दिया है।

क्या उपभोक्ता के लिए आवश्यक वस्तुएं महंगी हो जाएंगी ?

आपको पता है कि कोरोना महामारी शुरु हुई तो 10 रुपए वाला मास्क 150 और 100 मिलीलीटर की सैनेटाइजर की शीशी 100 से 200 रुपए तक पहुंच गई थी। तब सरकार ने मास्क और सैनेटाइजर की अंधाधुंध बढ़ती कीमतों को आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट जरिए नियंत्रित किया था?

अब इस नए कानून से आलू, प्याज, टमाटर, अरहर, उड़द समेत सभी दालें और सरसों समेत सभी तिलहन से भंडारण की सीमा हट गई है। अब इन वस्तुओं का ज्यादा भंडारण करने पर जुर्माना नहीं होगा, जेल नहीं होगी। जमाखोर सस्ते दामों में चीजें खरीदेंगे और जब बाजार में किल्लत हो जाएगी तो महंगे दाम पर बेचेंगे. आपको पता ही होगा कुछ कॉर्पोरेट हाउस देश भर में बड़े बड़े भंडारगृह बना रहे हैं आने वाले दिनों में वे ही बाजार भाव तय करेंगे। सरकार उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को मंडियों में कृषि उत्पादों के आवक तथा मूल्यों की जानकारी रहती है यदि इस कानून के लागू होने से एपीएमसी व्यवस्था खत्म होती है, तो जैसा कि किसान और विशेषज्ञ चिंता जता रहा है, ऐसे में एगमार्कनेट द्वारा कृषि उत्पादों के मूल्यों के आकलन को बहुत बड़ा झटका लगेगा और देश के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं के असली मूल्य का पता लगाना असंभव हो जाएगा. ऐसा होने पर सरकार द्वारा स्टॉक लिमिट तय करने का फैसला लेना संभव नहीं होगा।

देश के अलग अलग राज्यों में छोटे जोत की खेती होती है और ज्यादातर किसानों के पास अनाज को जमा करने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है ऐसे में लाभ केवल बड़े व्यापारियों को मिलेगा। किसानों को हरगिज नहीं।

जमाखोरी से ग्रामीण इलाकों पर क्या असर पड़ेगा?

अगर बड़े पैमाने पर थोक खरीद या जमाखोरी के कारण जरूरी सामान के दाम बढ़ते हैं, तो इसका दो प्रतिकूल प्रभाव होगा। पहला ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर बढ़ेगी, परिणामस्वरूप गरीबी बढ़ेगी। जब गरीबी बढ़ेगी तो खेती किसानी और भी मुश्किल होगी। दूसरा, सरकार के लिये राशन की दुकानों के लिये खरीद की लागत बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' की रबी 2020-21 की रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया कि किसानों से दाल खरीदकर स्टॉक किया जाता है और

Source : Jansatta

जब दाल की फसल आने वाली हो, तो उसे खुले बाजार में बेच दिया जाता है। इससे किसानों को बाजार भाव नहीं मिल पाता। ढाई लाख करोड़ का दाल घोटाला इसका जीता जागता सबूत है, जब 45 रु. किलो में दाल का आयात कर 200 रु. किलो तक बेचा गया था।

खेतिहर मजदूरों पर क्या असर पड़ेगा?

छत्तीसगढ़ में खेतिहर मजदूरों की संख्या देश के अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है। इन मजदूरों में ज्यादातर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के हैं। काले कानून में इनके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। मतलब साफ़ है इन मजदूरों की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। व्यापारी और किसान के बीच हुए समझौते में यह मजदूर कहीं नहीं होगा और बचा भी हो तो वह फिर बंधुआ मजदूरी की ओर ही बढ़ेगा।

क्या नरेंद्र मोदी विदेशी दबाव में हैं ?

भारत सरकार डब्ल्यूटीओ यानी 'वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। यह कई देशों का एक समूह है जिनके बीच एक व्यापार समझौता है. आरोप लगते रहे हैं कि डब्लूटीओ के ज़रिए अमीर देश गरीब देशों के बाजार पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसीलिए वे लगातार दबाव डालते हैं कि गरीब या विकासशील देश अपने बाज़ार को अमीर देशों के लिए खोल दें और स्थानीय स्तर पर वस्तुओं के मूल्य इस तरह निर्धारित हों कि वे अमीर देशों की चीज़ों की तुलना में सस्ती न हों.

इसीलिए डब्लूटीओ समझौते के तहत गरीब देशों पर सब्सिडी ख़त्म करने का दबाव बनाया जाता है और दूसरा दबाव यह होता है कि वे किसी भी सदस्य देश से आने वाली वस्तुओं पर रोक न लगाएं. पिछले साल मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों को बोनस देने पर जो रोक लगाई थी, उसकी वजह भी यही थी. तभी तो मोदी सरकार ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को बोनस देगी तो केंद्र सरकार राज्य से चावल नहीं लेगी।

उदाहरण के तौर पर, अगर अमेरिका का मक्का हिंदुस्तान में आएगा तो भारत सरकार उसको रोक नहीं सकती। इसी साल 5 लाख टन अमेरिका का मक्का भारत आया है। इसी वजह से तो भारत के मक्के का दाम 2000 रुपए प्रति क्विंटल से गिरकर 1100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। भविष्य में यही बात आलू-प्याज़ से लेकर दलहन तिलहन और चावल गेहूं पर भी लागू हो सकती है.

दूसरा दबाव मोदी सरकार के दोस्तों का है जो बड़े औद्योगिक घरानों के मालिक हैं. वे चाहते हैं कि सरकार अनाज ख़रीदना बंद करे, अनाज के भंडारण की सीमा ख़त्म करे और ठेका खेती की अनुमति दे. मोदी जी ने यह सब कर दिया है. अब उनके सूटबूट वाले दोस्त ख़ुद अनाज ख़रीदकर भंडारण करेंगे और बाज़ार की कीमत ख़ुद तय करेंगे. ठेके पर कोई भी फसल उतनी ही और वही उगाएंगे जिससे कीमतें कम न हों.

आने वाले दिनों में यही समस्या अनाज के बाद फल सब्ज़ियों पर भी होगी.

क्या भाजपा झूठ बोल रही है कि कांग्रेस का भी यही वादा था ?

जी हां! यह भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है कि कांग्रेस ने ऐसा वादा किया था. दरअसल वे आपको सच नहीं बता रहे हैं।

कांग्रेस का वायदा APMC क़ानून को समाप्त करने का था ताकि कृषि व्यापार को सभी बंदिशों से मुक्त किया जा सके। लेकिन हम ये काम किसानों की सुरक्षा के लिए पाँच प्रमुख सुरक्षा कवच तैयार करने के बाद ही करने के पक्ष में हैं। और ये पांचों बातें हमारे या घोषणा पत्र में साफ़ साफ़ लिखी हुई है।

पहला: अभी एक मंडी औसतन साढ़े चार सौ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। हमारा वायदा इसे समाप्त कर हर प्रमुख गांव में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किसान बाज़ार तैयार करने का था।

दूसरा: हमने वायदा किया था कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृषि आयात और निर्यात की एक विशेष पॉलिसी तैयार की जाएगी।

तीसरा: हमने MSP तय करने नया का सिस्टम सुझाया था। अभी MSP को Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) तय करता है। हमारा वायदा था कि इसे हटाकर MSP को तय करने की ज़िम्मेदारी एक National commission on agricultural development and planning (NCADP) की होनी चाहिए। इस नए कमीशन में किसान भी मेंबर होंगे और उनका परामर्श MSP तय करते हुए नकारा नहीं जा सकेगा।

हमने ऐसा वायदा इसलिए किया था क्योंकि अभी के सिस्टम में किसानों की राय को मानना अनिवार्य नहीं है। उनकी राय को नकारा जा सकता है।

चौथा: सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच हमारी न्याय योजना थी, जिसमें हमने देश की 20% सबसे ग़रीब परिवारों को 72,000 रुपया सालाना देने का वायदा किया था। ये परिवार सीमांत किसानों और खेतिहर मज़दूरों के हैं.

पांचवां: सुरक्षा कवच के रूप में खाद्य सुरक्षा क़ानून को ठीक से लागू करना था। ये क़ानून UPA की सरकार ने बनाया था जिसके तहत देश के 70% लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि इस क़ानून को ठीक से लागू किया जाता है तो किसानों से सरकारी ख़रीद बहुत बढ़ जाएगी।

लेकिन मोदी सरकार तो इसे उल्टा कमज़ोर करने की तैयारी में है। 2020 के इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने खाद्य सुरक्षा क़ानून के दायरे में आने वाली जनता की संख्या को 70% से कम करके 20 प्रतिशत तक सीमित करने का सुझाव दिया है।

• • •